न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व वाद संख्या 107/2011

1. शिवदयाल पुत्र स्व0 श्री गोकुलचन्द उम्र बालिग जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम बाडी तहसील मसूदा जिला अजमेर। .....वादी

बनाम

1. भगवानदास पुत्र श्री अमरचन्द जाति महाजन निवासी ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मसूदा, हाल बिजयनगर .....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

इस वाद पत्र में वादी ने साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम बाडी तहसील मसूदा हाल बिजयनगर जिला अजमेर स्थित विवादास्पद आराजी ख0 न0 434 रक्बा 7–04–00 बीघा पर वादी संवत् 2025 से बिना रोक टोक खुले आम काश्त करता चला आ रहा है जो खसरा परिवर्तन शील 2025 से प्रमाणित है। जिसकी पुष्टी पटवारी हल्का ने भी मौतबिरान की उपस्थिति में बनाये गये मौके पर्चे में की है अतः वादी इसमें खातेदार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी को विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादी का नाम प्रतिवादी 1 के स्थान पर राजस्व अभिलेख में लगाया जावे।

प्रतिवादी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। शहादत वादी में वादी ने अपना बयान शपथ पत्र पेश किया। बहस विव्दान अभिभाषक सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रदर्श 1 ग्राम बाडी का संवत् 2025 की खसरा परिवर्तन शील की प्रति है जिसमें विवादित आराजी के साबिक न0 47 हाल न0 240 दर्शाए गये है। प्रदर्श 2 पटवारी द्वारा तैयार मौका पर्चा दिनांक 16.06.2011 है। जो मौखिक कथनो पर आधारित है। प्रदर्श 3, 5 व 7 जुर्माने की रसीदें है। प्रदर्श 9 ग्राम बाडी की जमाबंदी संवत् 2065 – 68 के खाता संख्या 210 की प्रमाणित प्रति है जिसमें प्रतिवादी भगवानराम आराजी न0 434 में खातेदार काश्तकार दर्ज है। इसी के खाना केफियत में नामान्तकरण संख्या 1449 दिनांक 22.03.2010 द्वारा भगवानराम की अपेक्षा भगवानदास नाम से दुरूस्ती के इन्द्राजात है।

इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वादी का वाद जो मात्र 2025 के खसरा परिवर्तनशील पर लाया गया है। जिसमें खसरा नम्बर भी भिन्न है। तथा कोई मिलान क्षेत्रफल भी पेश नही किया गया है रसीदात जो पेश की है उनके समर्थन में P 14 पेश नही किये है वाद पूर्णतः कपोल कल्पित कथनों पर लाया गया है जो स्वीकार योग्य नही है। अतः वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जाता है। वादी वाद खर्च अपना स्वयं वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2017 सरे इजलास सुनाया गया

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी महोदय

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 11:31:16 IST
Reason: SelfAttested